भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

03 जून, 2015

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी करने के खिलाफ

केंद्र की जन विरोधी व देश विरोधी ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फसीवादी भाजपा सरकार के ही नक्शे कदम राज्य की भाजपा सरकार ने भी भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी की। यह किसान व आदिवासी विरोधी कदम है। केंद्र ने भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश को तीसरी बार जारी किया है। यहां यह गौर करने वाली बात है कि देश भर में केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश के खिलाफ जोरदार आन्दोलन चल रहा है और उसका मसौदा संसद की संयुक्त समिति के पास लंबित है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की नीयत से आनन–फानन में भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के जरिए राज्य सरकार ने केंद्र के नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के अनुरूप उसके प्रावधानों को लागू कर दिया। इसके लिए राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वासन विभाग ने छत्तीसगढ़ के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी। इससे उसके किसान व आदिवासी विरोधी एवं पूंजीपतिपरस्त चरित्र जनता के सामने एकबार और उजागर हो गया। हमारी पार्टी राज्य के किसानों व आदिवासियों का आह्वान करती है कि वे अपने जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को बचाने आगे आवें, विस्थापन विरोधी आन्दोलनों को उग्र बनावें। आदिवासी अस्तित्व को मिटाने की राज्य सरकार की कोशिशों को नाकाम करें।

यह अधिसूचना दरअसल रमण सिंह के 'मेक इन छत्तीसगढ़' नारे को जबरन अमलीजामा पहनाने की नाकाम कोशिश है। टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल, नेको आदि भारत के बडे कॉरपोरेट घरानों व टीपीजी जैसे विदेशी कॉरपोरेट घरानों की लंबित परियोजनाओं को तेजी से शुरु करने उन्हें आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए ही आनन–फानन में यह अधिसूचना जारी की गयी है। बस्तर संभाग में जन आन्दोलन के दबाव के सामने झुककर पूर्व मे रोक दी गयी हीरानार व मावली भाटा इस्पात संयंत्र परियोजनाओं, एनएमडीसी द्वारा डिलमिली में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट, जन आन्दोलन व जनयुद्ध की वजह से लंबित बोधघाट व मेंढकी बडे बांधों, चारगांव, रावघाट, आमदाई, तुलाड, बुधियारी माड, कुव्वे एवं राजनांदगांव स्थित पल्लामाड एवं अन्य करीबन दो दर्जन बडी खनन परियोजनाओं, दल्ली–रावघाट–जगदलपुर रेल लाइन, हवाई अड्डों, वायु सैनिक अड्डों, सैन्य प्रशिक्षण शालाओं आदि के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण करना इस अधिसूचना का असली मकसद है।

इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अब सरकार को अधिग्रहण से पहले ग्रामसभा और स्थानीय समुदायों व जमीन मालिकों की सहमति की जरूरत नहीं रह गयी है। यह चूंकि पेसा कानून के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है, इसलिए यह अवैधानिक है।

केंद्र के अध्यादेश व राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद अब भूमि अधिग्रहण बेरोकटोक चलेगा। वन इलाकों की जनता खासकर आदिवासियों का बडे पैमाने पर विस्थापन होगा। आदिवासी जनता विशेषकर प्राचीनतम आदिवासी जनजातियों में से कइयों का अस्तित्व ही अब खतरे में पड गया है। दसियों हजार एकड़ जंगल नष्ट हो जायेगा जिससे पर्यावरण संतुलन बुरी तरह बिगड जायेगा। जल–वायु प्रदूषण बढ़ता जायेगा। छोटे व भूमिहीन किसान पूरी तरह बर्बाद हो जायेंगे। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था चरमरा जायेगी, जन जीवन ही अस्त व्यस्त हो जायेगा। सिंचित जमीन के अधिग्रहण से खाद्य संकट उत्पन्न होगा। कुलमिलाकर कहा जाए तो सरकारें कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए राज्य की आम जनता व उनकी भावी पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड कर रही है।

राज्य के मानवाधिकार संगठनों, आदिवासी, गैर–आदिवासी साामाजिक संगठनों, जनवादी–प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, मीडियाकर्मियों से अपील करती है कि वे राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण अधिसूचना को व केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश को वापस लेने की मांग को लेकर संगठित, व्यापक व जुझारु जन आन्दोलन का निर्माण करें। तमाम जन आन्दोलनों व जनयुद्ध को खत्म करने के लिए केंद्र–राज्य सरकारों द्वारा जारी पाशविक सैनिक दमन अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ आवाज बुलंद करें।

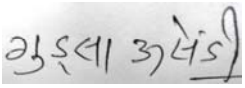

(गुड्सा उसेण्डी)

प्रवक्ता,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)